मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

मंगलवार, दिनांक 6 दिसम्बर, 2016 (अग्रहायण 15, शक सम्वत् 1938)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:03 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

1. निधन का उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री जे. जयललिता के निधन पर सदन की ओर से शोकोदगार व्यक्त किये गये.

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, श्री बाला बच्चन, प्रभारी नेता प्रतिपक्ष तथा श्री सत्यप्रकाश सखवार, सदस्य द्वारा शोकोदगार व्यक्त किये गये. सदन द्वारा दो मिनिट मौन खड़े रहकर दिवंगत के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई.

दिवंगत के सम्मान में सदन की कार्यवाही पूर्वाह्न 11.14 बजे 10 मिनट के लिये स्थगित की जाकर 11.25 बजे पुन: समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 11 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एवं 12) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 143 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 165 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

3. गर्भगृह में प्रवेश एवं वापसी

सर्वश्री जितू पटवारी, सुन्दरलाल तिवारी, यादवेन्द्र सिंह, सदस्यगण द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या 10 (क्रमांक 1592) पर अपनी बात कहते हुए गर्भगृह में आये एवं अध्यक्ष महोदय की समझाईश पर वापस अपने आसन पर गये.

4. शून्यकाल में उल्लेख

(1) नोटबंदी के कारण किसानों द्वारा अपनी फसल मंडियों में न बेचे जाने विषयक

श्री रामनिवास रावत, सदस्य एवं श्री बाला बच्चन, प्रभारी नेता प्रतिपक्ष द्वारा नोटबंदी के कारण मंडियों में किसानों द्वारा फसल न बेचे जाने संबंधी दिए गए स्थगन पर चर्चा कराने का उल्लेख किया. इस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा आश्वस्त किया कि – "आपकी बात आ गई है, उस पर चर्चा कराने हेतु विचार कर लेंगे."

5. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि – "नियम 267-क के अधीन लम्बित सूचनाओं में से 15 सूचनाएं नियम 267-क (2) को शिथल कर आज सदन में लिए जाने की अनुज्ञा मैंने प्रदान की है". (सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई.)

(1) अध्यक्षी घोषणानुसार, श्री आरिफ अकील, सदस्य की "गरीब उपभोक्ताओं को अपनी सुविधा अपना राशन (असर) योजना संबंधी" नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचना प्रस्तुत मानी गई तथा शेष उपस्थित सदस्यों द्वारा सूचनाएं पढ़ी गईं.

6. अध्यक्षीय व्यवस्था

शासन द्वारा शून्यकाल की सूचनाओं के उत्तरों का संकलन अगले सत्र से पहले पटल पर रखे जाने विषयक

श्री रामनिवास रावत, सदस्य शासन द्वारा शून्यकाल की सूचनाओं के उत्तरों का संकलन अगले सत्र से पहले पटल पर रखे जाने संबंधी आपत्ति उठाने पर अध्यक्ष महोदय द्वारा डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री को निर्देश दिया कि शून्यकाल की सूचनाओं का उत्तर समय पर माननीय सदस्यों को मिलना चाहिए और वह अगले सत्र के पहले आना चाहिए. संसदीय कार्य मंत्री ने आश्वस्त किया कि आसंदी के निर्देशों का शासन द्वारा अक्षरश: पालन किया जाएगा.

7. नियम 267-क के अधीन विषय (क्रमश:)

(2) श्री सुन्दरलाल तिवारी, सदस्य ने रीवा, सीधी, सतना, सिंगरौली जिलों में स्वास्थ्य बीमा योजना,
(3) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार, सदस्य ने मुरैना में पोरसा से अटेर फूफ रोड़ के जर्जर होने,
(4) श्री सुखेन्द्र सिंह, सदस्य ने रीवा जिले के वर्ष 2015 में जिला सहकारी समिति द्वारा बीमा राशि न मिलने,
(5) डॉ. रामकिशोर दोगने, सदस्य ने भोपाल शहर के टी.टी.नगर क्षेत्र में गेमन इंडिया द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्य,
(6) श्री आशीष गोविन्द शर्मा, सदस्य ने देवास जिले के खातेगांव अंतर्गत ग्राम उमेड़ा से हरण गांव मार्ग जर्जर होने,
(7) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य ने श्योपुर जिले में 220 के.व्ही.ए. उपकेन्द्र की स्थापना किये जाने,
(8) कुं. विक्रम सिंह, सदस्य ने छतरपुर जिले के राजनगर विधानसभा क्षेत्र के तहत शासकीय माध्यमिक शालाओं का हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने,
(9) श्री दिलीप सिंह शेखावत, सदस्य ने घानासूता से क्रमगना मार्ग के टेंडर,
(10) श्री सोहनलाल बाल्मीक, सदस्य ने छिन्दवाड़ा जिले में ग्राम पंचायतों में सचिवों के पद रिक्त होने,
(11) श्री सुदर्शन गुप्ता, सदस्य ने मध्यप्रदेश में वन क्षेत्र तेजी से घटने,
(12) श्री कमलेश्वर पटेल, सदस्य ने सीधी व सिंगरौली में विद्युतविहीन ग्रामों को विद्युतीकृत करने,
(13) श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने श्योपुर के बड़ौदा में ओलावृष्टि से धान फसल की बर्बादी का मुआवजा न मिलने,
(14) श्री मधु भगत, सदस्य ने सतनारी बांध का निर्माण कार्य पूर्ण करने,
(15) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य ने नरसिंहपुर जिले के ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में आबादी मद की जमीनधारी को राजस्व व नजूल भूमि की समान सुविधाएं दी जाने,

सम्बन्धी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत कीं.

8. शून्यकाल में उल्लेख (क्रमश:)

(2) शासन की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों से घटिया खाद्यान्न वितरित होने एवं शक्कर के मूल्य में वृद्धि होना

श्री बाला बच्चन, प्रभारी नेता प्रतिपक्ष द्वारा शून्यकाल में यह विषय उठाया गया कि – भारत सरकार के खाद्यान्न मंत्रालय के मुताबिक पीडीएस में घटिया खाद्यान्न बांटने वाला मधयप्रदेश देश का दूसरा राज्य बन गया है. ऐसे ही पीडीएस में शक्कर जो साढ़े तेरह रूपये प्रति किलोग्राम दी जाती थी उसको बीस रूपये किलोग्राम कर दिया है. लगभग 50 प्रतिशत प्रति किलो राशि बढ़ा दी गई है. नोटबंदी के बाद जनता के साथ यह अत्याचार है. सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और घटिया खाद्यान्न बंद करना चाहिए तथा शक्कर के बढ़े रेट को कम करना चाहिए. अध्यक्ष महोदय द्वारा उनसे कहा गया कि आप जो आरोप लगा रहे है इसे नियमानुसार लाइये ताकि शासन को इसकी सूचना दे सके.

(3) पेंच व्यपवर्तन योजना के तहत नहर निर्माण में कुछ क्षेत्रों को छोड़ने संबंधी अफवाह फैलाई जाना

श्री दिनेश राय, सदस्य द्वारा शून्यकाल में यह विषय उठाया गया कि – मेरे विधान सभा के कुछ क्षेत्रों में पेंच व्यपवर्तन योजना के तहत नहर का काम छोड़ने संबंधी अफवाह फैलायी जाने से मेरे पखारी, परासिया और गोपालगंज के किसान काफी आक्रोशित है. शासन शीघ्र ही उसकी जांच कराकर नहर का निर्माण कार्य पूर्ण कराये.

9. अध्यादेश का पटल पर रखा जाना

श्री रामपाल सिंह, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 2016 (क्रमांक 3 सन् 2016) पटल पर रखा.

10. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री पारस चन्द्र जैन, ऊर्जा मंत्री ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 की अपेक्षानुसार, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं -

(क) क्रमांक 1439-मप्रविनिआ-2016, दिनांक 02.09.2016,
(ख) क्रमांक 1450-मप्रविनिआ-2016, दिनांक 03.09.2016, (शुद्धि पत्र),
(ग) क्रमांक 1490/मप्रविनिआ/2016, दिनांक 14.09.2016,
(घ) क्रमांक 1578/मप्रविनिआ/2016, दिनांक 29.09.2016, तथा
(ङ) क्रमांक 1616/मप्रविनिआ/2016, दिनांक 05.10.2016

पटल पर रखीं.

(2) श्री राजेन्द्र शुक्ल, खनिज साधन मंत्री ने –

(क) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार मैग्नीज ओर इंडिया लिमिटेड (मॉयल) की 53 वीं वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2014-2015,

(ख) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार –

(i) मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड, उज्जैन का वार्षिक प्रतिवेदन. वर्ष 2013-14 एवं 2014-15, तथा

(ii) मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (इन्दौर) लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2013-14 एवं 2014-15,

पटल पर रखे.

(3) श्री भूपेन्द्र सिंह, परिवहन मंत्री ने परिवहन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 22-54-2002-आठ, दिनांक 1 जुलाई, 2016 पटल पर रखी.

11. जुलाई-अगस्त, 2016 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल पर रखा जाना

अध्यक्ष महोदय ने जुलाई जुलाई-अगस्त, 2016 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन पटल पर रखे जाने की घोषणा की.

12. नियम 267 - क के अधीन जुलाई-अगस्त, 2016 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

अध्यक्ष महोदय ने जुलाई-अगस्त, 2016 सत्र में नियम 267-क के अधीन पढ़ी गयी सूचनाओं तथा उनके शासन से प्राप्त उत्तरों का संकलन सदन के पटल पर रखे जाने की घोषणा की.

13. राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि विधान सभा के विगत सत्र में पारित 9 विधेयकों को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है. अनुमति प्राप्त विधेयकों के नाम दर्शाने वाले विवरण की प्रतियां माननीय सदस्यों को वितरित कर दी गई हैं. इन विधेयकों के नाम कार्यवाही में मुद्रित किए जाएंगे :-

क्र.	राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयक	अधिनियम क्रमांक
(1)	मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक – 3) विधेयक, 2016 (क्रमांक 17 सन् 2016)	अधिनियम क्रमांक 21 सन् 2016
(2)	मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 15 सन् 2016)	अधिनियम क्रमांक 22 सन् 2016
(3)	मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2016 (क्रमांक 13 सन् 2016)	अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2016
(4)	मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2016 (क्रमांक 14 सन् 2016)	अधिनियम क्रमांक 24 सन् 2016
(5)	मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 18 सन् 2016)	अधिनियम क्रमांक 25 सन् 2016
(6)	मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक – 4) विधेयक, 2016 (क्रमांक 19 सन् 2016)	अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2016
(7)	मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक – 5) विधेयक, 2016 (क्रमांक 20 सन् 2016)	अधिनियम क्रमांक 27 सन् 2016
(8)	पण्डित एस.एन.शुक्ला विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 (क्रमांक 21 सन् 2016)	अधिनियम क्रमांक 28 सन् 2016
(9)	मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 16 सन् 2016)	अधिनियम क्रमांक 29 सन् 2016

14. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक दिनांक 5 दिसम्बर, 2016 को सम्पन्न हुई. जिसमें निम्नलिखित शासकीय विधेयकों पर चर्चा हेतु समय आवंटित किये जाने की सिफारिश की गई है :-

क्रमांक	शासकीय विधेयक एवं अन्य कार्य	आवंटित समय
1.	मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 24 सन् 2016)	30 मिनिट
2.	मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक,2016 (क्रमांक 25 सन् 2016)	30 मिनिट
3.	मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (तृतीय संशोधन) विधेयक,2016 (क्रमांक 26 सन् 2016)	30 मिनिट
4	वर्ष 2016-2017 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण.	2 घंटे

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि अभी अध्यक्ष महोदय ने शासकीय विधेयकों पर चर्चा के लिए समय निर्धारण करने के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़ कर सुनाई, उन्हें सदन स्वीकृति देता है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

15. ध्यानाकर्षण

(1) श्री गोविन्द सिंह पटेल, सदस्य ने नरसिंहपुर जिले में धान एवं गेहूँ खरीदी केन्द्र बंद किये जाने की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री ओमप्रकाश ध्रुर्वे, मंत्री ने वक्तव्य दिया.

(2) श्री सोहनलाल बाल्मीक, सदस्य ने छिंदवाड़ा जिले के परासिया विधान सभा क्षेत्र में आपराधिक घटनाएं घटित होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री भूपेन्द्र सिंह, मंत्री ने वक्तव्य दिया.

16. विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र

अध्यक्ष महोदय द्वारा मध्यप्रदेश विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 89-बांधवगढ़ (अ.ज.जा.) से निर्वाचित सदस्य, , श्री ज्ञान सिंह के द्वारा विधान सभा में अपने स्थान से त्यागपत्र देने एवं दिनांक 5 दिसम्बर, 2016 को स्वीकृत किए जाने की सूचना सदन को दी गई.

17. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री शंकरलाल तिवारी, सभापति ने याचिका समिति का अड़तीसवां, उनतालीसवां, चालीसवां तथा इकतालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

18. सभापति तालिका की घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 9 के उपनियम (1) के अधीन, निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम निर्दिष्ट किया गया:-

(1) श्री कैलाश चावला
(2) श्री दुर्गालाल विजय
(3) श्रीमती नीना विक्रम वर्मा
(4) श्री मनोज निर्भय सिंह पटेल
(5) श्री लाखन सिंह यादव
(6) श्री के.पी. सिंह

19. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं :-

(1) श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक (जिला-छतरपुर)
(2) श्री केदारनाथ शुक्ल (जिला-रीवा)
(3) श्री शैलेन्द्र जैन (जिला-सागर)
(4) श्री दुर्गालाल विजय (जिला-श्योपुर)
(5) श्री संजय शर्मा (जिला-नरसिंहपुर)
(6) श्री कुँवरजी कोठार (जिला-राजगढ़)
(7) श्री विजय सिंह (जिला-खरगोन)
(8) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार (जिला-मुरैना)
(9) श्री मुकेश नायक (जिला-पन्ना)
(10) श्री रामेश्वर शर्मा (जिला-सतना)
(11) श्री नारायण सिंह (जिला-राजगढ़)
(12) श्री मुरलीधर पाटीदार (जिला-आगर-मालवा)
(13) श्री रमाकांत तिवारी (जिला-रीवा)
(14) श्री रजनीश हरवंश सिंह (जिला-सिवनी)
(15) श्रीमती उमादेवी खटीक (जिला-दमोह)
(16) श्री पन्नालाल शाक्य (जिला-गुना)
(17) श्री दिलीप सिंह परिहार (जिला-नीमच)
(18) श्री गोविन्द सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)

20. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री रामपाल सिंह, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 24 सन् 2016) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(2) श्रीमती माया सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक, 2016 (क्रमांक 25 सन् 2016) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(3) श्रीमती माया सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 26 सन् 2016) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(मध्याह्न 12.52 से अपराह्न 3.05 बजे तक अन्तराल)

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

21. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

चंबल-ग्वालियर संभाग में नदियों से मिट्टी कटाव के कारण कृषि भूमि का रकबा घटने एवं गांवों के अपने स्थान से विस्थापित होने विषयक

चंबल-ग्वालियर संभाग में नदियों से मिट्टी कटाव के कारण कृषि भूमि का रकबा घटने एवं गाँवों के अपने मूल स्थान से विस्थापित होने के संबंध में श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार, (प्रस्तावक सदस्य) की अनुपस्थिति में प्रारम्भ चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) सोहनलाल बाल्मीक

22. औचित्य का प्रश्न एवं अध्यक्षीय व्यवस्था

नियम 139 की चर्चा के प्रस्तावक सदस्य के अनुपस्थित रहने पर सदन की सहमति से चर्चा कराने विषयक

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने औचित्य का प्रश्न उठाया प्रस्तावक सदस्य उपस्थित नहीं है तो इस चर्चा को कैसे उठाया जा सकता है? सर्वश्री राजेन्द्र पाण्डेय, जितू पटवारी, रामनिवास रावत तथा दुर्गालाल विजय, सदस्यगण द्वारा प्रश्न पूछने पर कि नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय मानकर के संबंधित विधायक ने इसे सदन में रखा. उनके नहीं होने से ये शून्य हो जाता है. उपाध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि क्योंकि ये सूचना सदन की प्रापर्टी बन गई है. इस पर सदन में जो माननीय सदस्य उपस्थित है अगर वो बोलना चाहते है तो वो इस पर बोल सकते हैं. इस में सूचना देने वाले के अलावा दूसरे सदस्य भी बोला करते हैं. श्री गौरीशंकर बिसेन, कृषि कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने आसंदी से अनुरोध किया कि यह विषय महत्वपूर्ण है. इस पर चर्चा कराई जाये. हम उत्तर देंगे. श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने पूछा कि क्या सूचनाकर्ता की उपस्थिति में चर्चा प्रारम्भ हो सकती है. उपाध्यक्ष महोदय ने अवगत कराया कि इसमें सभा के सामने न तो कोई औपचारिक प्रस्ताव होगा, न मतदान होगा जिस सदस्य ने सूचना दी है वो संक्षिप्त वक्तव्य दे सकेगा और मंत्री संक्षिप्त उत्तर देगा तथा जिस सदस्य ने अध्यक्ष को पहले से सूचित कर दिया हो उसे भी चर्चा में भाग लेने की अनुज्ञा दी जा सकती है. श्री गोपाल भार्गव ने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में ये सारे विषय तय होते है कि 139 में कौन सी चर्चा ली जाना है कौन सी नहीं ली जाना चाहिए फिर इस पर सदन में चर्चा होती है. उपाध्यक्ष महोदय ने बताया कि कार्यमंत्रणा समिति में यह तय हुआ है तथा सदन की सहमति से इस पर चर्चा हो रही है. इस पर सदस्यों द्वारा चर्चा प्रारम्भ की गई.

23. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा (क्रमश:)

(2) श्री रामनिवास रावत
(3) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार

(प्रस्तुतकर्ता माननीय सदस्य के विलम्ब से आने पर, उपाध्यक्ष महोदय द्वारा समय पर सदन में उपस्थित रहने की समझाईश दी गई, तत्पश्चात् माननीय सदस्य ने चर्चा में भाग लिया)

(4) श्री जालम सिंह पटेल
(6) श्री दुर्गालाल विजय
(7) श्री जितू पटवारी
(8) श्री गोविन्द सिंह पटेल
(9) श्री सुन्दरलाल तिवारी

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

24. अध्यक्षीय व्यवस्था
ग्राह्य चर्चा के मूल सदस्य के अनुपस्थित रहने पर समर्थक सदस्य/अन्य सदस्य द्वारा चर्चा उठाये जाने विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि नियम 139 की चर्चा के प्रारम्भ होने पर माननीय मंत्री गोपाल भार्गव ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था जिस पर अनेक माननीय सदस्यों ने अपनी राय व्यक्त की और उपाध्यक्ष महोदय ने तत्समय यह व्यवस्था दी थी कि यह चर्चा जारी रह सकती है, उसी के परिप्रेक्ष्य में यह चर्चा हो रही है. मैं उसी व्यवस्था को विस्तार देते हुए सदन को यह बतलाना चाहता हूं कि नियम 139 में जो चर्चा ग्राह्य की जाती हैं, उसमें दो सदस्यों का समर्थन भी होता हैं. स्वाभाविक है कि यदि मूल सदस्य उपस्थित नहीं है तो जो समर्थक सदस्य हैं, वह उस चर्चा को उठा सकते हैं यह प्राकृतिक न्याय भी है. श्री दुर्गालाल विजय ने यह बात कही भी थी कि समर्थन करने वाला सदस्य भी मामले को उठा सकता है.

कौल एवं शकधर लिखित **"संसदीय पद्धति और प्रक्रिया"** पुस्तक में लिखा है - **"चर्चा हेतु प्रक्रिया"**. "चर्चा उसी सदस्य द्वारा प्रारंभ की जाती है जिसका नाम कार्यसूची के मद में सबसे पहले है. यदि वह सदस्य अनुपस्थित हो, तो चर्चा दूसरे सदस्य द्वारा उठाई जाती है. यदि दोनों सदस्य अनुपस्थित हों, तो अगले उस सदस्य को, जिसकी सूचना ग्राह्य हो, चर्चा उठाने की अनुमति दी जा सकती है."

"विशेष परिस्थितियों में अध्यक्ष उस सदस्य को जिसका नाम कार्यसूची में उस मद के सामने लिखा हो, इस बात की अनुमति दे देता है कि उसके स्थान पर कोई अन्य सदस्य भाषण दे." अत: अन्य सदस्य भी दे सकता है. इसलिए वह व्यवस्था बिल्कुल ठीक है और नियमानुकूल है.

एक माननीय सदस्य ने यह मत व्यक्त किया कि इससे महत्वपूर्ण और चर्चाएं भी थीं और उन्होंने आक्षेप लगाया कि जानबूझकर इसको लिया गया. मेरा यह कहना है कि यह भी महत्वपूर्ण चर्चा है. हर सदस्य को अपने अपने क्षेत्र की चर्चा महत्वपूर्ण लगती है. श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार ने जो विषय उठाया है इस पर विस्तृत चर्चा पूरे प्रदेश के लिए जरूरी थी. नदियों में कटाव सभी जगह होता है. उन्होंने चम्बल का उठाया. यह चर्चा सिर्फ नियम 139 या 142 में ही हो सकती थी, क्योंकि ध्यानाकर्षण में भी इतना समय नहीं मिलता और न प्रश्न में मिलता है. बाकी अन्य विषय जो तात्कालिक होते हैं, उनके लिए तो और भी रास्ते हैं लेकिन दीर्घकालीन निर्णयों के लिए नियम 139 या 142 ही है. इसलिए बिलकुल सम-सामयिक और नियमानुकूल यह चर्चा ली गई है. मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि पहले नियम पढ़ लें इसके बाद किसी प्रकार की बात करें, उचित होगा.

25. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा (क्रमश:)

श्री गौरीशंकर बिसेन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

अपराह्न 4.16 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 7 दिसम्बर, 2016 (अग्रहायण 16, शक सम्वत् 1938) को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

अवधेश प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 6 दिसम्बर, 2016